भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1215

16 दिसंबर, 2022

"गन्ना उत्पादक किसानों के भुगतान में विलंब"

1215. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को नियमानुसार देय राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं जिससे गन्ना उत्पादक किसान हतोत्साहित हैं;

(ख) देश में नियमों की अनदेखी करने वाली ऐसी चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों को गन्ने का राज्य-वार और वर्ष-वार कितना बकाया भुगतान हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि गन्ने के भुगतान में देरी के लिए चीनी मिलें किसानों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार संबंधित चीनी मिलों द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना अपेक्षित है, जिसके न करने पर 14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए देय राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होता है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों/ संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित और निहित हैं जिनके पास फील्ड संबंधी आवश्यक संरचना उपलब्ध होती है। किसानों को गन्ना देय का भुगतान करना एक सतत प्रक्रिया भी है।

भारत सरकार की विभिन्न नीतियों और उचित समय पर हस्तक्षेपों के कारण गन्ने की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का रुझान देखने को मिलता है, जो यह दर्शाता है कि अधिक से अधिक किसान इस फसल को अपना रहे हैं और फसल से होने वाले प्रतिलाभ से संतुष्ट हैं।

हालांकि कुछ चीनी मिलें अपनी खराब वित्तीय परिस्थितियों के कारण संबंधित गन्ना किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान करने के लिए समय-सीमा का पालन नहीं कर सकीं। संबंधित राज्यों के गन्ना आयुक्त नियत समय के अंतर पर चीनी कारखानों के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की निगरानी करते हैं और भुगतान में देरी के मामले में, उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों का राज्य-वार और वर्ष-वार गन्ना बकाया का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ.): जैसा कि प्रश्न के (क) और (ख) भागों में ऊपर दिए गए उत्तर में उल्लिखित है कि संबंधित चीनी मिलों को 14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए देय राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।

केंद्रीय सरकार किसानों के गन्ना देय के भुगतान की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी भी करती है और लंबित गन्ना देय का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करती है।

इन प्रयासों के कारण चीनी मिलों द्वारा चीनी मौसम 2021-22 के गन्ना देय का 97.76% से अधिक और चीनी मौसम 2020-21 के देय का 99.9% से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1215 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों को गन्ने का राज्य-वार और वर्ष-वार बकाया भुगतान दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपए में)							
क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18 और इससे पहले	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	उत्तर प्रदेश	137	0	0	9	2406	2552
2	महाराष्ट्र	205	45.48	0	68.48	71.02	389.98
3	कर्नाटक	3	4	0	0	0	7
4	गुजरात	54	0	0	0	5.91	59.91
5	तमिलनाडु	1380	73	0	0	221	1674
6	बिहार	18	50	39	4	0	111
7	हरियाणा	0	0	0	0	48.1	48.1
8	पंजाब	0	0	31	6.28	6.7	43.98
9	मध्य प्रदेश	8	0	0	0	5	13
10	उत्तराखंड	36	108	0	0	34	178
11	आंध्र प्रदेश	1	22.03	35.92	0	4.43	63.38
12	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
13	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
14	ओडिशा	3	0	0	0	0	3
	समग्र भारत	1845	302.51	105.92	87.76	2802.16	5143.35

****